यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला खान अधिकारी, रूद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, रूद्रप्रयाग के माह 04/2017से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. दरियाल, बृज भूषण मणि त्रिपाठी एवं श्रीमती रेखा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.06.2018 से 14.06.2018 तक श्री पी. के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.05.2017 से 31.05.2017 तक श्री नवीनचन्द्र शंखधर, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/2017 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- सम्पूर्ण रूद्रप्रयाग जनपद

3. (ii) (अ)**राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय द्वाराअर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है।

वर्ष	अर्जितराजस्व (रू लाख में)
2015-16	989.21
2016-17	971.05
2017-18	880.45

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैरस्थापना`	आवंटन`	व्यय`	आवंटन`	व्यय`		
शुन्य								

(स) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजनाकानाम	प्रारम्भिकअवशेष`	प्राप्त`	व्ययअधिक्य(+) `	बचत(-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन: शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0 ओ0 द्वारा सभी जनपदों को किया जाता है|गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'B' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव-अपर सचिव-निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक–उपनिदेशक(भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी)- खान अधिकारी/सहायक भूवैज्ञानिक- सर्वेक्षक

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षामें **कार्यालय जिला खान अधिकारी, रूद्रप्रयाग** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला खान अधिकारी, रूद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi)**विस्तृतजांचहेतुमाहकाचयन:-**

राजस्व: माह 03/18 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह.....को विस्तृत जांच(व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजनाकाचयन :-लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डीपीसी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर 01- निर्माण कार्यों में अवैध उप खनिज के प्रयोग पर अर्धदण्ड का अनारोपण `13.74 करोड़।

"उत्तराखण्ड उप खनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के उपबन्ध 23 (2) के अनुसार सरकारी निर्माण इकाइयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डी0जी0बी0आर (ग्रेफ), सिचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाए जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति से कराते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 68 के अंतर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुये नियमानुसार अनुज्ञा पत्र संबन्धित जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

सरकारी निर्माण कार्य हेतु उपखनिज के उपयोग से पूर्व आवेदन खनन अनुज्ञा अथवा खनन पट्टा हेतु निर्धारित प्रारूप MM-8/MM-1 तथा तदनुसार आदेवन शुल्क क्रमश: अल्प अवधि हेतु अनुज्ञा शुल्क `5000/- व चुगान पट्टे हेतु `100000/-- निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुये आदेवन पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तांकि नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सके।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, रूद्रप्रयाग के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में एक भी अनुज्ञा पत्र एवं खनन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। जबकि निर्माण इकाइयों के द्वारा राँयल्टी के रूप में `34359104 जमा किया गया था। यदि उक्तानुसार अनुज्ञा पत्र और पट्टा स्वीकृत किये जाते तो आवेदन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता, लेकिन विभाग के द्वारा नीति के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण उपखनिजो का अवैध खनन, कर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया था जिससे राजस्व की हानि हुई। प्रदेशांतर्गत किसी भी प्रकार का उप खनिज बिना अनुज्ञा पत्र/पट्टा के खनन नहीं किया जा सकता है

लेकिन निर्माण इकाइयों के द्वारा बिना उल्लिखित प्रपत्रों के ही उपखनिजों का खनन कर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया और राँयल्टी जमा किया गया था। जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर, 2016 के अनुसार अवैध उपखनिज खनिज परिवनह की जा रही उपखनिज की मात्रा पर राँयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किये जाने का प्रावधान था। जिला रूद्रप्रयाग के निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में बिना अनुज्ञा/पट्टा के निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की गई उपखनिजों के सापेक्ष कुल `34359104/- रायल्टी जमा किया गया था नियमानुसार इस रायल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाना था, किन्तु खनन विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारण सरकार को `{137436416} ((34359104)x5 = 171795520 - 34359104) की राजस्व क्षति हुयी।

उक्त को इंगित करने पर विभाग के द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुये बताया कि नियमानुसार प्रकरण को जिलाधिकारी महोदय को संदर्भित करते हुये कार्यवाही की जाएगी। विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि जिले में अत्यधिक मात्रा में अवैद खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसे रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अत: नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप `13.74 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल नहीं किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो (अ)

प्रस्तर 02 - नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर ` 67.70 लाख अर्थदण्ड आरोपित कर न वसूला जाना।

(अ) उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुबाग-1 संख्या 1873/VII-1/16/158-ख/04 टीसी; दिनांक 09 दिसम्बर 2016 के अनुसार उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथा संशोधित के नियम - 13 (2) (ड) के अनुसार हांट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी द्वारा मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रति माह `50,000/- का अर्थदण्ड देय होगा।

कार्यालय जिला खान अधिकारी रूद्रप्रयाग के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 09 स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/ कम्पनियों के द्वारा कोई मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। अत: नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर 09 स्टोन क्रेशर मालिकों पर `67,00,000/- अर्थदण्ड आरोपणीय था। (संलग्नक 1)

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये उत्तर में बताया कि जाँच कर कार्यवाही की जाएगी।

(ब) उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकासअनुभाग-1 सं. 1873/VII-1/158-ख़/ 04टीसी देहरादून : दिनांक:09 दिसम्बर, 2016 के नियम-11 में अतिरिक्त प्रावधान उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 के नियम-13(2)(ड) के अनुसार भण्डारकर्ता द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर रू2000/- का अर्थदंड आरोपित किया जाने का प्रावधान है |

कार्यालय जिला खान अधिकारी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्टोन क्रेशर भण्डारकर्ताओ द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये गए थे | विभाग द्वारा स्टोन क्रेशर भण्डारकर्ताओ को मासिक विवरणी जमा न करने पर नोटिस निर्गत नहीं किया गया और अर्थदंड भी अधिरोपित नहीं किया गया था | 5 स्टोन क्रेशर भण्डारकर्ताओ पर अर्थदण्ड अधिरोपित न करने के परिणामस्वरूप ` 70,000/-की राजस्व क्षति हुई। (संलग्नक 2)

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

विभाग द्वारा आपत्ति को स्वीकारने से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित न करने के फलस्वरूप रू 68000/-की हानि हुई।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

अत: नियमानुसार मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर `67.70 लाख अर्थदण्ड आरोपित कर न वसूले जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक – 1

जनपद रूद्रप्रयाग में संचालित/ स्वीकृत स्टोन क्रेशर का विवरण

क्र.स.	स्टोन क्रेशर का नाम व पता	स्वीकृत क्षेत्रफल हेक्टेयर में	स्वीकृत अवधि	प्रतिदिन क्षमता	कुल माह जिसका मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया (09/12/2016 से जून 2018 के मध्य)
1	मै0 लैंको मन्दाकिनी हाइड्रो इनर्जीज प्रा. लि. फाटा	1.479	19.08.2016 से 05 वर्ष हेतु	200 टन	19 माह x 50000 = 950000
2	मै0 जी0एस0सी0ओ0 इन्फ्रास्ट्रचर प्रा0 लि0 बिरोली	0.219	20.06.2016 से 05 वर्ष तक	80 से 100 टन	19 माह x 50000 = 950000
3	श्री अमरदीप राणावत ग्राम डबरी तहसील टिहरी	0.260	27.07.2016 से 05 वर्ष तक	200 टन	19 माह x 50000 = 950000
4	श्रीमती विमला देवी निवासी उखीमठ	0.647	09.01.2015 से जनवरी 2018	200 टन	14 माह x 50000 = 700000
5	श्री सुमन्त ग्राम नागजगई	0.346	23.10.2015 से 05 वर्ष तक	200 टन	19 माह 50000 = 950000
6	श्रीमती आरती उनियाल नीलकंठ स्टोन क्रेशर	0.623	16.09.2015 से 05 वर्ष तक	200 टन	19 माह 50000 = 950000
7	कमलेश भट्ट, ग्राम पुनाड़	0.255	31.08.2016 से 05 वर्ष तक	200 टन	19 माह 50000 = 950000
8	माँ राकेश्वरी स्टोन क्रेशर	1.75 एकड़	27.01.2018 से 05 वर्ष तक	480 टन	06 माह x 50000 = 300000
				योग	**67,00,000**

संलग्नक-2

जनपद पौड़ी के अंतर्गत स्टोन क्रेशर भण्डारण सम्बन्धी मासिक विवरण सूची।

क्रं.सं	भण्डारणकर्ता का नाम (सर्वश्री/ श्रीमती)	स्वीकृति तिथि	माह जिनके मासिक विवरणी नहीं जमा की गयी	कुल माह	अर्थदंड (रू 2000/- प्रति माह)
1	अमरदीप सिंह, रणावत ग्राम डाबरी तहसील टिहरी	28-04-2017	05/2017 एवं 06/2017	2	4000
2	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री कुशाल सिंह निवासी उखीमठ	12-07-2017	02/2018	1	2000
3	कमलेश भट्ट पुत्र श्री महिमानंद भट्ट ग्रामपुनाड़	19-09-2016	06/2017 से 03/2018	10	20,000
4	बलवंत सिंह पुत्र श्री रणजोरसिंह ग्राम तिलवाडा रुद्रप्रयाग	22-02-2017	05/2017 से 03/2018	11	22000
5	श्री सुमन्त ग्राम नागजगई तहसील बसुकेदार	06-06-2016	05/2017 से 03/2018	11	22000
योग				35	70,000

भाग-दो (अ)

प्रस्तर 03- नियमानुसार जिला खनिज फौंडेशन न्यास में `85.90 लाख वसूल कर जमा न किया जाना।

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या-1621/VII-1/2017/8ख /16 दिनांक 17 नवंबर,2017 के नियम 10(2)5 न्यास निधि हेतु अंशदान के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यो में उपयोग की जाने वाली बालू बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा करेंगे। यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रवृत हुई समझी जाएगी।

उक्त के परिपेक्ष्य में कार्यालय जिला खान अधिकारी, रुद्रप्रयाग के लेखापरीक्षा के दौरान सरकारी निर्माण इकाइयों के द्वारा सीधे जमा किए गए रॉयल्टी का इकाईवार विवरण मांगा गया, जिसमें से मात्र 9 इकाइयों के द्वारा ही वर्ष 2017-18 में कुल `34359104 सीधे जमा की गई रॉयल्टी का विवरण उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार `8589776 (34359104x 25%) जिला खनिज फौंडेशन न्यास में जमा किया जाना था, जिसे विभाग के द्वारा जमा नहीं कराया गया।

उक्त को इंगित करने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकडो की पुष्टि करते हुये शीघ्र वसूली की कार्यवाही कर सूचित किया जाने का आश्वासन दिया। अतः नियमानुसार जिला खनिज फौंडेशन न्यास में `85.90 लाख वसूल कर जमा न करवाये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

जिला खनिज फ़ौंडेशन न्यास में जमा नहीं की गई धनराशियों का विवरण

क्रम सं.	निर्माण इकाई का नाम	बिना e-form "MM-11"एवं e-form "J" के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि	रॉयल्टी का 25% जिला खनिज न्यास में जमा नहीं की गई है
1	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, एवं नमामि गंगा योजना, रुद्रप्रयाग	3381707.00	
2	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, अगस्तमुनि	5096928.00	
3	अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड पी0डब्लू0डी0, उखीमठ	7499608.00	
4	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, पी0डब्लू0डी0, रुद्रप्रयाग	9482154.00	
5	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अवियंत्रण सेवा, रुद्रप्रयाग	1130855.00	
6	अधिशासी अभियंता,राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, रुद्रप्रयाग	1644418.00	
7	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, रुद्रप्रयाग	510968.00	
8	अधिशासी अभियंता, PMGSY खण्ड, जखोट	-	
9	अधिशासी अभियंता, PMGSY सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	5514720.00	
10	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, PWD, गुप्तकाशी	97746.00	
11	अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक खण्ड, गुप्तकाशी	-	
12	लघु सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	-	
12	ए.डी.बी. आपदा खण्ड, PWD, रुद्रप्रयाग	-	
13	परियोजना निदेशक, एल0 एण्डटी0, हाइड्रो पावर लि0 बेडूबगढ़, रुद्रप्रयाग	-	
14	अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, रुद्रप्रयाग	-	
15	परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण निर्माण इकाई	-	
16	कार्यपालक अभियंता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर	-	
17	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग	-	
18	अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, अगस्तमुनि/ उखीमथ/ तिलवारा/ केदारनाथ	-	
19	अधिशासी अभियंता, पेजल निगम, रुद्रप्रयाग	-	

		34359104	8589776

भाग-दो (अ)

प्रस्तर 04 - `26.31 लाख की वसूली न किया जाना।

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर, 2016 के अनुसार अवैध खनन पर `200000/- अर्थदण्ड अतिरिक्त उपखनिज परिवहन करने वाले वाहन के प्रकार केअ नुसार रु. 5000 से 50000/- तक अर्थदण्ड एवं परिवहन की जा रही उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किये जाने का प्रावधान है।
उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग संख्या 1352/VII-1/40-स्टोन क्रेशर/ 2015 देहरादून दिनांक 16 सितंबर, 2015 के द्वारा आवेदक "नीलकंठ" स्टोन क्रेशर श्रीमती आरती उनियाल को ग्राम चमसिल (सारी) राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र में कुल 0.623 हैक्टेयर भूमि में 200 टन प्रतिदिन क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना/ संचालन हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञास्वीकृति किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।
कार्यालय अभिलेखों की जांच में पाया कि प्रार्थिनी, श्रीमती आरती उनियाल के द्वारा दिनांक 25/03/2016 को सयंत्र स्थापना हेतु स्वीकृत भूभाग सीढ़ीनुमा प्रकृति का होने के कारण उसे समतल किया गया एवं समतलीकरण के दौरा न निकले हुये पत्थर एवं बोल्डर जिसकी कुल मात्रा 4000 घन मीटर होगी, के सापेक्ष रॉयल्टी जमा कर उपयोग करने की अनुमति चाहने हेतु जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को प्रार्थना पत्र दिया था, इसके सापेक्ष जिलाधिकारी के द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2016 को उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं खान अधिकारी, रुद्रप्रयाग को प्रकरण की जांच कराते हुये अपनी संयुक्त जांच आख्या उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश के सापेक्ष क्या कार्यवाही की गई, इसका अभिलेखों में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और स्टोन क्रेशर चालू है। चूंकि प्रस्तावित /स्वीकृत भूमि सीड़ीनुमा थी जिसे समतल किए बिना स्टोन क्रेशर स्थापित नहीं किया जा सकता था। नियमानुसार स्टोन क्रेशर स्वामी को भूमि समतल करने से पूर्व एमएम-8/ एमएम-1 में अनुमति लेना चाहिए थी। लेकिन स्टोन क्रेशर स्वामी के द्वारा समतलीकरण हेतु कोई अनुमति नहीं ली गयी और भूमि समतलीकरण करने के पश्चात समतलीकरण के दौरान निकले हुये पत्थर एवं बोल्डर जिसकी कुल मात्रा 4000 घन मीटर हेतु स्वयं उपयोग करने तथा रॉयल्टी जमा किए जाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन लेखापरीक्षा तिथि 06/18 तक अनुमति दिये जाने या रॉयल्टी जमा किए जाने का अभिलेखो में कोई साक्ष्य नहीं मिला। नही विभाग के द्वारा उल्लिखित उपखनिज का निस्तारण ही किया गया।
उल्लिखित नियमानुसार उक्त अनुमति के अभाव में उपखनिज पत्थर एवं बोल्डर जिसकी कुल मात्रा 4000 घन मीटर पर तत्समय रॉयल्टी की दर `97.25/- (194.50 का 50%) प्रति घन मीटर से ` 389000 देय थी तथा इस पर रायल्टी का पाँच गुना अर्थदण्ड `19,45,000/- एवं 25% रिवर ट्रेनिंग व विकास शुल्क `486250/- देय है इसके अतिरिक्त `200000/- अर्थदण्ड आरोपणीय है। इस प्रकार स्टोन क्रेशर स्वामी से `2631250/- वसूल करने योग्य है।

उक्त को इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि प्रकरण पर जांच कर कार्यवाही करते हुये अवगत कराया जाएगा। अतः `26.31 लाख न वसूले जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:1- देय धनराशि जमा न करने के बावजूद नवीनीकरण किया जाना `1.48 करोड़ ।

उत्तराखंड असाधारण गज़ट 22 जनवरी 2016 के अनुसार नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों की सूची मे क्रम सं 12 पर स्पष्ट किया गया है कि आवेदक का खनन बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति वांछित है।

कार्यालय जिला खान अधिकारी रुद्रप्रयाग के अभिलेखों की जांच में पायागया कि परियोजना प्रबन्धक एल0 एण्ड टी0 भटबाड़ी जल विघुत परियोजना के निर्माण हेतु स्वीकृत स्टोन क्रेशर पर बिना अनुमति के 15197 घन मीटर उपखनिज पाया गया जिस पर विभाग द्वारा अवैध उपखनिज पर रॉयल्टी का दस गुना `14627113/- खनिज मूल्य एवं `200000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था। इस धनराशि को लेखा परीक्षा तिथि तक जमा नहीं किया गया था। इसके बाबजूद भी विभाग द्वारा स्टोन क्रेशर का नवीनीकरण दिनांक 5 नवम्बर 2016 को किया गया था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वतया गया कि प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त प्रावधानों के अनुसार अधिरोपित धनराशि जमा कराये जाने के बाद ही नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित था।

अत: देय धनराशि जमा न करने के बावजूद नवीनीकरण करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

।

भाग 2(अ)

प्रस्तर:5- नवीनीकरण एवं विनियमितिकरण शुल्क जमा न कराये जाने के कारण राजस्व क्षति `11.75 लाख।

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून दिनाँक 19.11.2016 के अंतर्गत उत्तराखण्ड स्टोन क्रैशर अनुज्ञा नीति 2016 के बिन्दु 2(छ) के अनुसार जिला देहरादून का पर्वतीय क्षेत्र भी सम्मिलित है। उपरोक्त नीति के बिन्दु 9 के अनुसार पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रैशर स्वामियों को इस नीति की घोषणा के बाद 15 दिन के भीतर अपने प्लांट की क्षमता (टन/घण्टा के अनुसार) घोषित किया जाना था। घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लान्ट का विनियमितीकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जाना था। विनियमितीकरण शुल्क की गणना घोषित क्षमता के आधार पर नीति के अध्याय-II के अनुसार किया जाना था। इस राशि में से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गए आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना था। नीति की घोषणा के एक माह बाद ई प्रपत्र "जे" केवल विनियमितीकृत प्लान्ट को ही जारी किया जाना था।

अध्याय-II के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में स्टोन क्रैशर प्लान्ट हेतु आवेदन शुल्क की धनराशि `5.00 लाख (क्षमता 100 टन/घण्टा तक) इससे अधिक पर प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त ` 1.00 लाख निश्चित की गयी थी। अध्याय-III के अनुसार स्टोन क्रैशर का नवीनीकरण वार्षिक शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत था। अध्याय-IV के बिन्दु-4 के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्लान्ट के संचालन हेतु पंजीकरण का नवीनीकरण निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म कार्यालय से कराया जाना आवश्यक था। आगे, अध्याय-I के बिन्दु 5(ड़) के अनुसार स्टोन क्रैशर स्वामी द्वारा वार्षिक शुल्क जमा न कराये जाने की दशा में तैयार माल के परिवहन हेतु संबन्धित जनपद के खान अधिकारी द्वारा ई-प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जायेगा।

कार्यालय जिला खान अधिकारी,रुद्रप्रयाग के अभिलेखोंकी जांच में पाया गया कि प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग-1 देहारादून के पत्र सं0 2561/VII-1-

10/201-उघोग /2008 दिनांक 16 अगस्त2010 केद्वारा सीतापुर में स्टोन क्रेशर स्थापित करने की संस्वीकृति के अन्तर्गात जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा लेंकों हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड पावर हाउस साइट के समीप 1200 मीट्रिक टन क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापित करने के आदेश दिनांक 16 नवम्बर 2010 को कर दिये गए थे। इसी क्रम में कम्पनी द्वारा दिनांक 3-07-2015 को 3 वर्ष के लिए पुन: स्टोन क्रेशर स्थापित करने के लिए `50000/- जमा करते हुए आवेदन किया गया था। तत्पश्चात `200000/- दिनांक 1.12.2015 को जमा किया गया था। विभाग द्वारा दिनांक 28 सितम्बर 2016 को पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया था।

उपरोक्त दिनांक 19 नवंबर 2016 के कार्यालय ज्ञाप के अंतर्गत स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा नियमानुसार अपने प्लान्ट का विनियमिती करण कराया जाना अपेक्षित है नियमानुसार विनियमितिकरण शुल्क `7,75,000/- (16,00,000 - 50,000) का 50 % एवं 28-09-2016 से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ` 4,00,000/- (16,00,000X25%), कुल `11,75,000/- जमा किया जाना अपेक्षित था। जो स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा जमा नहीं किया गया था।

आगे यह भी उल्लेखनीय है कि प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग-1 देहारादून के पत्र सं0 2562/VII-1/153ख/2010 दिनांक 16 अगस्त2010 केद्वारा लेंकों हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड के लिए व्यूंग खुमेरा में भी दूसरा स्टोन क्रैशर स्थापित करने की संस्वीकृति दी गयी थी। इसी क्रम में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2016 को पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया था। इस स्टोन क्रेशर से संबन्धित कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा दल को विभाग उपलब्ध नहीं करा सका।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा विनियमितीकरणव नवीनीकरण की कार्यवाही करके उक्त धनराशि जमा करने की कार्यवाही कर लेखा परीक्षा को अवगत कराने का आश्वासन दिया गया है।दूसरा स्टोन क्रेशर के सम्बन्ध स्थलीय जांच कर वांछित सूचना प्रेषित करने का आश्वासन दिया गया है।

अत: नवीनीकरण एवं विनियमितिकरण शुल्क जमा न कराये जाने के कारण राजस्व क्षति ` 11. 75लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:2- विक्रय विलेख पत्र पंजीकृत न कराये जाने के कारण राजस्व क्षति `0.91 लाख।

इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 33 के अनुसार विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यो के सम्पादन मे कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय मे स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नही है, उसे जब्त करेगा।

कार्यालय जिला खान अधिकारी रुद्रप्रयाग के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग -2/3004-VII-2/240-ख/2008 दिनांक 14 अक्तूबर 2008 को स्टोन क्रेशर 8060 वर्ग मीटर पर लगाने हेतु अनुमति दी गयी थी। इसी क्रम में भूखण्ड स्वामियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र कम्पनी से मांग की गयी थी। कम्पनी द्वारा अनापत्ति प्रमाण के साक्ष्य में बिक्री क़रारनामा प्रस्तुत किया गया था। बिक्री क़रारनामा के सापेक्ष लेखा परीक्षा तिथि तक कम्पनी द्वारा विक्रय विलेख पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। जबकि क़रारनामा में स्पष्ट अंकित है कि 60 दिन के अन्दर विक्रय विलेख पत्र निष्पादित किया जायगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्गत दर सूची में उक्त क्षेत्र की `164/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी थी।

उक्त भूमि के लिए स्टाम्प की गणना इस प्रकार है:-

भूखण्ड का मूल्य 8060*164 = 1321840

देय स्टाम्प 5% 1321840*5% =66092 पूर्णकित 66100/-

देय निबंधन शुल्क 2% 25000/-(अधिकतम)

उक्तानुसार स्टोन क्रेशर स्वामी द्वारा विक्रय विलेख पंजीकृत न कराये जाने के कारण `91100/- (66100/-+25000/-) की राजस्व क्षति हुई।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: विक्रय विलेख पत्र पंजीकृत न कराये जाने के कारण राजस्व क्षति `0.91का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ख)

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : प्रथम लेखापरीक्षा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
DMO/21/2017-18	-	1,2,3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : विभाग द्वारा अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

व्यय से संबन्धितविगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण: व्यय नहीं किया जाता है।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य-**टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य-**टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला खान अधिकारी, रूद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

2.सतत्अनियमितताएः शून्य

3.लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रमसं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अमित गौरव	जिला खान अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला खान अधिकारी, रूद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार (राजस्वक्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व